



संरक्षा संवर्धन



क्या करें, क्या नहीं करें

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर



एल.सी. त्रिवेदी
महाप्रबंधक
L.C. Trivedi
General Manager



पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-274728
Fax - 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in

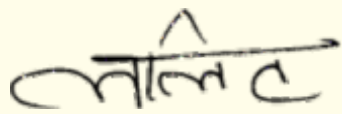


संदेश

रेल परिचालन में संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। संरक्षा संगठन से जुड़े रेलकर्मियों के दैनिक प्रयोजनार्थ “क्या करें, क्या नहीं करें” बुकलेट तैयार किया गया है। यह सकारात्मक दिशा में किया गया एक उल्लेखनीय प्रयास है। यह रेलकर्मियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसे छोटे-छोटे प्रयासों से ही बड़े-से-बड़ा कार्य पूर्ण होता है।

मैं राजभाषा विभाग के इस प्रयास के लिए बधाई देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।


(एल.सी.त्रिवेदी)

संजीव कुमार शर्मा

मुख्य संरक्षा अधिकारी

Sanjeev K. Sharma

Chief Safety Officer



पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर – 844101

East Central Railway

Hajipur- 844101

Phone : + 91-06224-272874

Fax - 271037, 02523368

E-mail :csoecr@gmail.com



प्रस्तावना

रेलवे में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। संरक्षा से जुड़े सभी रेल कर्मियों के निमित्त तैयार “क्या करें, क्या नहीं करें” बुकलेट एक उपयोगी संकलन है। दैनिक क्रियाकलापों में संरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े रेलकर्मियों के लिए यह बुकलेट निःसंदेह उपयोगी होगा।

मैं इस बुकलेट के प्रकाशन हेतु राजभाषा विभाग को बधाई देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

संजीव

(संजीव कुमार शर्मा)

विषय-सूची

क्र.	विषय	पृ. सं.
1.	चालक एवं सहायक चालक	1
2.	स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर	4
3.	सेक्शन इंजीनियर (सिगनल) मेन्टेनर (सिगनल)	6
4.	सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ)/मेट/ चाभीवाला/ फाटकवाला/ट्रैकमैन	8
5.	गाड़ी परीक्षक	12

डीजल/विद्युत चालक एवं सहायक चालक के लिए क्या करें और क्या नहीं करें

करें :

1. साइन ऑन करने से पहले पूर्ण विश्राम करें।
2. इंजन के सभी संरक्षा उपकरणों की जाँच अवश्य करें।
3. साइन ऑन करने के बाद ड्राइवर नोटिस बुक तथा कॉशन बुक को अवश्य पढ़ें।
4. लोको ट्रिप करने पर ए-9 को अवश्य लगावें।
5. ब्रेक प्रेशर/वैक्युम गिरने पर फ्लैशर लाइट अवश्य जलावें।
6. सह चालक एच टी कम्पार्टमेन्ट का निरीक्षण बार-बार करें।
7. रास्ते में जब कभी ट्रेन खड़ी हो तो इंजन के यांत्रिक अवयवों, विशेषकर चक्के में क्रैक होने की जाँच अवश्य करें।
8. घुमावदार लाइन में यात्रा करते समय ट्रेन के पिछले भाग को अवश्य देखें।
9. मैन्ड/अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट को पास करते समय सी/फा बोर्ड से लेकर गेट पास करते समय तक लगातार सीटी बजायें ।

10. शांत एवं अनुशासन प्रिय बनें ।
11. चालक / सहायक चालक होम /स्टार्टर सिगनल के लिए टी-369 (1), टी-369 (3बी) मिलने पर चलते समय काँटा के प्रति सतर्क रहें ।
12. गति सीमा का अनुपालन अवश्य करें ।
13. अपनी ट्रेन सिगनल पोस्ट के पास खड़ी करें ।
14. इंजन को लोड पर लगाने से पहले ब्रेक पावर की जाँच कर लें तथा 20 मीटर की दूरी पर इंजन को खड़ा करने के बाद फिर धीरे-धीरे इंजन जोड़ें ताकि लोड को धक्का नहीं लगे।

नहीं करें :

1. बिना सही प्राधिकार मिले नहीं चलें ।
2. बिना प्राधिकार के अपनी ट्रेन को बैक नहीं करें, विशेषकर प्वाइंट पर ।
3. सहायक इंजन माँगने में विलम्ब नहीं करें ।
4. ड्यूटी के पहले या ड्यूटी के दौरान नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करें।
5. इंजन में अनधिकृत व्यक्तियों को नहीं चढ़ायें ।
6. सिगनल संकेतों को सुनिश्चित किये बिना नहीं चलें।
7. कन्प्लिक्टिंग/फ्लिकरिंग सिगनल को पास नहीं करें।
8. यदि एक बार ब्रेक लगा दें तो ब्रेक को बिना पूरा रिलीज किये नॉच-अप नहीं करें।
9. ब्रेक पावर टेस्ट करने के प्रथम अवसर को नहीं भूलें।
10. इंजन के खड़े होने पर भी उसे अनमैन्ड नहीं छोड़ें।
11. कुछ समय के अन्तराल में प्रेशर को बाहर निकालना नहीं भूलें।
12. यार्ड में घुसते समय डायमन्ड क्रॉसिंग पर 10कि.मी. प्रति घंटा की गति से अधिक नहीं चलें।
13. अपनी ट्रेन फाउलिंग मार्क को जाम करके खड़ी नहीं करें।
14. शॉटिंग करते समय 5/10 कि.मी. प्रति घंटा की गति से अधिक नहीं चलें।

स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर के लिए क्या करें और क्या नहीं करें

करें :

1. यह सुनिश्चित कर लें कि लाइन क्लियर देने से पहले आगमन अनुमति देने की सभी शर्तें पूरी कर ली गयी है।
2. यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित सिगनलों को ऑफ करने से पहले गाड़ी को लेने के लिए सिगनल ऑफ करने की शर्तें पूरी कर ली गयी है।
3. यह सुनिश्चित कर लें कि गाड़ी पूरी आ गयी है और सिगनलों को वापस ऑन कर दिया गया है।
4. यह सुनिश्चित कर लें कि गाड़ी चलाने की शर्तों का पूरा-पूरा अनुपालन किया गया है।
5. यह सुनिश्चित कर लें कि जब कभी स्टेशन की रनिंग लाइन (चालू लाइन) फाउल या अवरूद्ध हो जाये तब यातायात की संरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है।

नहीं करें :

1. इस बात को यों ही नहीं मान लिया करें कि फाउलिंग मार्क क्लियर (साफ) हैं बल्कि सुनिश्चित कर लें कि गाड़ी पूरी आ गयी है तथा फाउलिंग मार्क साफ है।
2. जब कभी लाइन अवरूद्ध हो तब लीवर कॉलरों और स्लाइड कॉलरों का प्रयोग करना और यातायात की संरक्षा के लिए निर्धारित कार्यवाही करना नहीं भूलें।
3. जब कोई गाड़ी आपके सामने से गुजर रही हो, तब यह देख लिया करें कि गाड़ी संरक्षित रूप से जा रही है और साथ ही गाड़ी के गार्ड/ड्राइवर से ऑल राइट सिगनल मिलाना नहीं भूला करें।
4. ऐसे तरीके से शॉटिंग नहीं करने दें जिससे संरक्षा खतरे में पड़ती हो और स्टेशन पर अलग किये गये डिब्बों आदि को असम्बद्ध नहीं रहने दें तथा नियमानुसार इन डिब्बों को संरक्षित करें।
5. शॉर्ट-कट तरीके नहीं अपनाया करें और अनधिकृत व्यक्तियों को ब्लॉक उपकरणों में हाथ नहीं लगाने दिया करें।

सेक्शन इंजीनियर (सिगनल) / मेन्टेनर (सिगनल)
के लिए
क्या करें और क्या नहीं करें

करें :

1. सिगनल या प्वाइंट में खराबी होने के बाद फेल्योर मेमो लेने के बाद ही किसी खराबी को ठीक करें।
2. रिले रूम की चाभी माँगने से पहले केबिन बेसमेंट / रिले रूम चाभी रजिस्टर में चाभी लेने के कारण का सही-सही कोड भरें। चाभी लेने के पहले एवं चाभी देने के बाद अपना हस्ताक्षर करें तथा स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर अवश्य ही करायें।
3. रिले रूम की चाभी न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार ही लें।
4. प्वाइंट एवं लॉक की खराबी होने पर संबंधित प्वाइंट / लॉक के पास जाकर अवश्य जाँच करें।
5. ट्रैक सर्किट के फेल होने पर संबंधित ट्रैक पर अवश्य स्वयं जाकर देखें, ठीक करें।
6. ब्लॉक यंत्र को भी खोलते समय निश्चित हो लें कि ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं हो।

नहीं करें :

1. कभी भी कोई शार्ट-कट नहीं अपनाएं।
2. कभी भी सिगनल इंटरलॉकिंग गियर का विच्छेदन बिना एस.आई.-4 के नहीं करें।
3. कभी भी प्वाइंट / लॉक या सिगनल की खराबी होने पर रिले रूम से इन्हें ऑपरेट नहीं करें।
4. कभी भी आती हुई गाड़ी के सामने सिगनल पोस्ट पर नहीं चढ़ें और सिगनल यूनिट कवर को नहीं खुला रखें।
5. ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी होने पर ब्लॉक यंत्र को छेड़-छाड़ नहीं करें।

सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ)/ मेट/ चाभीवाला/
फाटकवाला/ ट्रैकमैन के लिए
क्या करें क्या नहीं करें

करें :

1. जिस रेल पथ पर आपको काम करना है उस रेल पथ पर कार्य करने के पहले नियमानुसार बचाव अवश्य करें।
2. यदि किसी रेल पथ पर रेल पथ की किसी खराबी के कारण दुर्घटना होने की आशंका हो तो नियमानुसार बचाव करें और उसकी मरम्मत करने के बाद ही गाड़ी चलाने की अनुमति दें।
3. कार्य स्थल पर सभी आवश्यक संरक्षा उपकरण अवश्य रखें।
4. यदि रेल पथ की किसी खराबी के कारण रेलगाड़ी को अधिकतम गति से पार करने योग्य नहीं समझें तो गति नियंत्रित करने के लिए गति सीमा अवश्य लगावें और स्टेशन / कंट्रोल को सूचित करें।
5. यदि किसी रेल पथ पर किसी कारणवश गति सीमा लगाते हैं तो कॉशन बोर्ड, स्पीड बोर्ड तथा टर्मिनेशन बोर्ड अवश्य लगा दें।

6. यदि लेवल क्रॉसिंग गेट पर रेल पटरी की मरम्मत के लिए चेक रेल निकालते हैं तो काम समाप्ति के बाद चेक रेल अवश्य लगा दें।
7. जब ट्रॉली से सेक्शन में जायें तो ट्रेन के आवागमन के प्रति पूर्ण सतर्क रहें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होने पाये।
8. पैदल तथा मवेशी क्रॉसिंग पर जहाँ गिट्टी हमेशा अस्त-व्यस्त रहती है, कड़ी नजर रखें और गिट्टी की कमी को शीघ्रता से पूरी करें।
9. अपने सेक्शन के एस.ई.जे. में प्रत्येक पखवाड़े में एक बार तेल डालें तथा ग्रीस लगायें एवं तापमान के साथ एस.ई.जे. के गैप को चेक करें।
10. जहाँ भी एन्कर लगे हो उन्हें स्लीपर से सटाकर रखा जाय।
11. यह सुनिश्चित करें कि सभी पुलों और उसके पहुँच मार्गों में लगी सभी फिटिंग को नियमित रूप से कसा जा रहा है।
12. गेटमैन यूनीफॉर्म में रहें और गेट के सभी संरक्षा उपकरणों को अच्छी हालत में रखें।

नहीं करें :

1. जिस रेल पथ पर कार्य करने के लिए गति नियंत्रक लगाना आवश्यक है उस पर गति नियंत्रक लगाये बगैर कार्य प्रारंभ नहीं करें।
2. जिस रेल पथ पर कार्य करने के लिए लुक आउट कॉशन लगाना आवश्यक है, उस पर कॉशन लगाये बिना काम शुरू नहीं करें।
3. रेल पथ मरम्मत के लिए गाड़ी रोकना अथवा गाड़ी का सीमित गति से पार करना आवश्यक हो तो उस रेल पथ पर बैनर, फ्लैग, लाल छोटी झंडी तथा तीन पटाखा लगाये बगैर कार्य नहीं करें।
4. रेल पटरी, प्वाइंट बदलने या खोलने का काम बिना ट्रैफिक ब्लॉक लिये नहीं करें।
5. मालठेला से माल ढोने का कार्य बिना ट्रैफिक ब्लॉक लिये नहीं करें।
6. पुशट्रॉली तथा मालठेला चालक को ड्राइविंग/सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना चलाने की अनुमति नहीं दें।

7. यदि गाड़ी चलाने के लिए रेल पथ असुरक्षित है तो गाड़ी रोकने में हिचक नहीं करें।
8. जिस कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया हो जब तक वह पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो जाय ट्रैफिक ब्लॉक कैन्सिल नहीं करें।
9. किसी प्रकार का रेल सामान या औजार रेल पथ के पास असुरक्षित स्थिति में नहीं छोड़ें।
10. ड्राइवर द्वारा बैड राइडिंग या किसी प्रकार के खतरे की सूचना मिलने पर उस स्थान की जाँच किये बगैर गाड़ी का संचालन नहीं करायें।
11. गेटमैन सड़क वाहन के लिए केबिन अथवा स्टेशन से प्राइवेट नंबर लिये बगैर गेट नहीं खोलें।
12. गेटमैन अपना गेट छोड़कर किसी भी हालत में नहीं जायें और सदैव चुस्त व सतर्क रहें।

**गाड़ी परीक्षकों के लिए
क्या करें और क्या नहीं करें**

करें :

(प्रारंभिक स्टेशनों पर)

1. सभी वैगनों के हैण्ड ब्रेक रिलीज अवस्था में है।
2. इ. एल.बी. का ऑपरेटिंग हत्था सही स्थिति में है।
3. सभी घिसे ब्रेक ब्लॉक बदल दिये गये हैं।
4. सभी ब्रेक रिंगिंग पिन सही माप के है और घर्षण बिन्दु लुब्रिकेट किये गये हैं।
5. एस.ए.बी. का डाइमेंशन ए सही ढंग से निश्चित माप तक एडजस्ट किया गया है।
6. एम्पटी/लोडेड टाई रॉड का समायोजन ठीक है।
7. इंजन से अंतिम गाड़ी तक हौज /ब्रेक पाइप लगातार जुड़े हैं तथा अंतिम पाइप सस्पेन्सन हुक पर लगा है।
8. अंतिम गाड़ी की पिछली एंगिल कॉक को छोड़कर अन्य सभी कॉक खुले हों तथा अंतिम गाड़ी के पिछले सिरे की ब्रेक पाइप एंगिल कॉक बंद हो।

9. सभी गाड़ियों के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के आइसोलेटिंग कॉक खुली हालत में हों।
10. ब्रेकवान में ब्रेक पाइप में प्रेशर गेज लगा हो।
11. ब्रेकवान में ब्रेक पाइप प्रेशर पूरी चार्ज स्थिति में 56 वैगन तक की गाड़ियों के लिए 4.9 के.जी./से.मी.² के कम न हो तथा 56 से अधिक गाड़ियाँ होने पर 4.7 के.जी./से.मी.² से कम नहीं हो।
12. ब्रेक सिस्टम में लीकेज प्रति मिनट 0.25 के.जी. / से.मी.² से कम हो।
13. पिस्टन स्ट्रॉक एम्पटी/लोडेड स्थिति में निर्धारित सीमा के अन्दर हो।
14. ब्रेक लगाने पर ब्रेक ब्लॉक चक्के के साथ पूरी तरह चिपका हुआ हो।
15. ब्रेक रिलीज का आपताकालीन ब्रेक वाल्व सही ढंग से काम करता हो।
16. गार्ड ब्रेकवान का आपातकालीन ब्रेक वाल्व सही ढंग से काम करता हो।

17. शत प्रतिशत ब्रेक सिलिन्डर परिचालित हो।
18. गार्ड, ड्राइवर को ब्रेक सर्टिफिकेट निर्गत करने से पहले पूरी तरह जाँच कर लें कि सभी उपकरण सही स्थिति में लगे हैं और ठीक काम कर रहे हैं।

प्रारंभिक स्टेशन पर नहीं करें :

1. हैण्ड ब्रेक आंशिक रूप से लगा हुआ नहीं छोड़ें।
2. एस.ए.बी. के डायमेंशन ए सेट स्थिति में हो तो उनसे छेड़-छाड़ नहीं करें।
3. एम्पटी लोडेड बॉक्स के स्लीव नट से छेड़-छाड़ नहीं करें।
4. हौस कपलिंग को लटकता हुआ नहीं छोड़ें।
5. निर्धारित सीमा से अधिक लीकेज की स्थिति में गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं प्रदान करें।
6. ब्रेकवान में वैक्यूम/वी.पी. गेट रहित गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं प्रदान करें।
7. डीजल/विद्युत इंजन को टेस्ट करते समय निर्धारित सीमा से कम वैक्यूम/प्रेसर मिलने पर लोड पर लगाने की अनुमति नहीं दें।

टर्मिनेटिंग स्टेशन पर करें:

1. किसी भी लोड में निर्धारित सीमा से अधिक पाये जानेवाले अपरिचालित सिलेण्डर की गाड़ियों को सिक मार्क कर दें।
2. लीकेज दर की जाँच करें तथा ज्यादा पाये जाने पर सुधार करें।
3. ब्रेक रिलीज होने की अवस्था में जाँच करें कि ब्रेक ब्लॉक चक्के से दूर रहे।
4. किसी भी एयर ब्रेक उपकरण के दृष्टिगत खराबी की जाँच करें तथा जरूरी होने पर सिक मार्क करें।
5. गाड़ी अनकपल (विच्छेदन) करते समय बगल की गाड़ी के एंगल कॉक को बंद करें।

टर्मिनेटिंग स्टेशन पर नहीं करें :

1. गाड़ी काटने से पहले हौस पाइप / ब्रेक पाइप / फीड को खोलना नहीं भूलें।
2. ब्रेक पाइप / फीड पाइप / हौस पाइप को लटकता हुआ नहीं छोड़ें।
3. क्विक रिलीज वॉल्व द्वारा ब्रेक रिलीज करने हेतु हथौड़ी का प्रयोग नहीं करें।

‘संरक्षा’ हम सब की
जिम्मेदारी है।



**'SAFETY' is
everybody's
Responsibility.**



राजभाषा विभाग / पूमरे / हाजीपुर द्वारा प्रकाशित एवं
ए.के. इन्टरप्राईजेज, कंकड़बाग मेन रोड, पटना - 800 020 द्वारा मुद्रित

याद रखें

एक भूल करे नुकसान
छीने रोजी-रोटी, मुस्कान

सावधान

देख कर रखो हर कदम
जिन्दगी नहीं मिलती हरदम।

स्मरण

घर-घर का यही नारा है
संरक्षा हमको प्यारा है।



राजभाषा विभाग / पूमरे / हाजीपुर द्वारा प्रकाशित एवं
ए.के. इन्टरप्राईजेज, कंकड़बाग मेन रोड, पटना - 800 020 द्वारा मुद्रित